न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–08/16 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016/00115

उनवान

1. हरभान सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति जाट निवासी फरसो तहसील बयाना
2. छिद्दीराम
3. भगवत } पुत्र गज्जेराम
4. फगुनी
5. राजेन्द्र पुत्र छिद्दीराम
6. पुष्पेन्द्र } पुत्र भगवत
7. योगेश

} जाति जाटव निवासी ग्राम चकबीछी तहसील बयना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती गुलकन्दी पत्नी किशनलाल जाति खटीक निवासी बाजौली तहसील बयाना।
2. भगवान सिंह पुत्र रमझोली
3. अंगनाराम पुत्र मिश्री
4. रामपाल पुत्र भूरचन्द

} जाति जाटव निवासी ग्राम पिदावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 08.03.2016 उनवानी गुलकन्दी बनाम हरभान प्र0स0 217/15

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री नरेन्द्र पाल सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री किशन चन्द निमेष अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–09.05.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 22.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम चकबीछी तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। जिसकी प्रार्थी/रैस्पो0 सम्पूर्ण भाग की खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण रैस्पो0 ने अपनी उपरोक्त आराजी की पैमाईश आदि कराकर डौल मेढ स्थापित कर रखे हैं। परन्तु अप्रार्थी अपीलाण्ट, प्रार्थी रैस्पो0 की विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं एवं आये दिन डौल मेड को तोड देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सनुवाई अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थी अपीलाण्ट को पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने पर भी ना तो रैस्पो0 एवं ना उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानूनं व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया एवं रैस्पो0 के कथनो पर भरोसा कर अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जबकि अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा नहीं किया है एवं ना ही डौल–मेढ तोडी हैं एवं ना ही कोई निर्माण कार्य किया है। अधीनस्थ न्यायालय चाहे तो मौके की रिपोर्ट तलव कर सकती है। रैस्पो0 ने केवल अपीलाण्ट को परेशान करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है, जो अपीलाण्ट को बिना सुने पारित हुआ है। वैसे तो अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करते एवं अपना पक्ष रखते। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील प्रस्तुत कर दी गयी। तत्पश्चात् अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा में तलव हो गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि उनके द्वारा रैस्पो0 की किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है एवं ना ही धमकी दी है एवं ना ही डौल मेड वगै0 ही तोडी हैं। इस बाबत् उनका यह भी कथन है कि यदि न्यायालय उचित समझे तो मौका की रिपोर्ट तलव कर ली जावें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 को सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा में तलव होने के कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण भी नहीं हो सका। अतः हम प्रकरण को बिना देरी करे अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रकरण का अधिकतम दो माह में विधिसम्मत निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.03.2016 यथावत रहेगी। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अधिकतम दो माह में निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है, तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.03.2016 यथावत रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर